न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)

बईजलास श्री भगवती प्रसाद, आई.ए.एस.

राजस्व निगरानी प्रार्थना–पत्र सं. 38/2008

प्रार्थी

1. श्री वलीखां पुत्र श्री सुभानखां जी मोसला निवासी बासडा तहसील आबूरोड़ जिला सिरोही।

बनाम

अप्रार्थी

1. श्री अजमेरसिंह पुत्र स्व. जोरसिंह जी ठाकुर निवासी बासड़ा तहसील आबूरोड़ जिला सिरोही।
2. श्री हाउसिंह पुत्र स्व. श्री जोरसिंह जी ठाकुर निवासी बासडा तहसील आबूरोड जिला सिरोही।
3. श्रीमती मोनवा पत्नि स्व. श्री जोरसिंह जी ठाकुर निवासी बासडा तहसील आबूरोड़ जिला सिरोही।

राजस्व निगरानी प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राज. भूराजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970

उपस्थिति :–

1. नगेन्द्र मेड़तिया अधिवक्ता प्रार्थी।
2. श्री दिनेश कुमार सुराणा अधिवक्ता अप्रार्थीगण।

निर्णय

दिनांक 12.04.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा यह आवेदन पत्र अप्रार्थी के विरूद्व पेश कर निवेदन किया गया कि मौजा बासड़ा, पटवार मण्डल मावल, तह. आबूरोड़ के खसरा नं. 259 रकबा 2 बीघा किस्म भूमि गे.मु.खाल खद्दर आई हुई है जो उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत के आदेश दिनांक 28.11.1984 द्वारा अप्रार्थी के पिता श्री जोरसिंह पुत्र श्री दलसिंह ठाकुर को 2 बीघा आवंटन की गई है, जिसे निरस्त कराने हेतु यह प्रार्थना–पत्र अप्रार्थी के विरूद्व राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत पेश किया। प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया । अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार सुराणा द्वारा जरिए वकालतनामा के उपस्थिति दी गई एवं जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल मिसल किया गया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.05.27 12:16:27 IST
Reason: SelfAttested

दोनो पक्षों की बहस सुनी गई। प्रा[illegible]र से अधिवक्ता श्री नगेन्द्र मेड़तिया द्वारा निवेदन किया गया [illegible], पटवार मण्डल मावल, तह. आबूरोड़ के खसरा नं. 259 रकबा 2 बीघा कि[illegible] खदद्र [illegible] है जो उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत के आदेश [illegible]28.11.1984 द्वारा अप्रार्थी[illegible]पिता श्री जोरसिंह पुत्र श्री दलसिंह ठाकुर को 2 बीघा आवंटन करने में आवंटन कमेटी द्वारा भारी एवं कानूनी भूल की है। आवंटित भूमि पर प्रार्थी का कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

खसरा संख्या 259 की 2 बीघा भूमि से लगती हुई प्रार्थी की अन्य खातेदारी भूमि खसरा संख्या 258 है। प्रार्थी का खसरा संख्या 259 पर कुंआ खुदा हुआ है एवं आवंटित भूमि पर प्रार्थी पशुओं को चारा डालने एवं पशुओं को बांधने के उपयोग में लेता आ रहा है। विवादित भूमि प्रार्थी के कब्जे अधिकार में होने के कारण प्रार्थी के नाम आवंटन होनी चाहिए थी परन्तु आवंटन सलाहकार समिति ने सही जांच न कर अप्रार्थी के पिता को आवंटन कर दी। खसरा संख्या 259 की भूमि कुल रकबा 8 बीघा है जिसमें से 2 बीघा श्री आसूखां को एवं एक बीघा श्री हकीम खां को एवं चार बीघा श्री बादूसिंह को आवंटन हो गई थी उसके बाद केवल एक बीघा भूमि ही शेष रहती परन्तु पटवारी व सरपंच की मिलीभगत से 2 बीघा आवंटन की गई। आवंटन कमेटी द्वारा विवादित भूमि गैर खातेदारी पर दस वर्ष के लिए आवंटन की थी। अप्रार्थी सदभावी काश्तकार नहीं है। आवंटित भूमि पर काश्त नहीं हुई है एवं आवंटन शर्तो की पालना नहीं की गई है । अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर आवंटन निरस्त किया जावे ।

अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार सुराणा द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया गया कि विवादित भूमि ग्राम बासड़ा में आई हुई है यह भूमि मौजा बासड़ा, पटवार मण्डल मावल, तह. आबूरोड़ के खसरा नं. 259 रकबा 2 बीघा किस्म भूमि गे.मु.खाल खद्दर है, जिसे अप्रार्थी द्वारा काबिल काश्त बनाया गया। उक्त भूमि उपखण्ड़ अधिकारी आबूपर्वत के आदेश दिनांक 28.11.1984 द्वारा अप्रार्थी के पिता श्री जोरसिंह पुत्र श्री दलसिंह ठाकुर को 2 बीघा आवंटन की गई थी। आवंटन शर्तो की पालना करने से अप्रार्थी के पिता को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना–पत्र मनगढंत तथ्यो के आधार पर 24 वर्ष बाद प्रस्तुत किया गया है जो कतई परिपोषणिय नही है। प्रार्थी द्वारा झूठे तथ्यो के आधार पर यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है। इस सम्बन्ध में उनके द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है। अप्रार्थी पुस्तेनी रूप से सदभावी कृषक है, एवं उक्त भूमि पर कृषि कार्य कर अपने एवं अपने परिवार का भरण पोषण करता है इस सम्बन्ध में उनके द्वारा विधित दृष्टांत आरआरटी 2008(2) पेज 834 **आरबीजे** 2001 पेज 125, शंकरलाल बनाम सरकार, 1996 पेज 287 राजकीय प्रवेशिका संस्कृत विधालय बनाम सरदारसिंह, 2001 पेज 593 बदरी बाई बनाम राजाराम, **आरआरडी** 1999 पेज 128 दलपतसिंह बनाम राजस्व मण्डल, **आरआरटी** 2007(2) पेज 1240 सूरजमल बनाम सरकार, पेज 1430 राजस्थान सरकार बनाम भंवरलाल, डीएनजे (राज.) 1997 पेज 632 गोपीराम बनाम सरकार, **एआईआर(एस.सी) 1994** पेज 1128 बृजलाल बनाम राजस्व मण्डल, **आरआरटी 2004** पेज 352 परसु बनाम राजस्थान सरकार, 2007 पेज 18 मोहम्मद खान बनाम बृजलाल एवं 2006 पेज 424 राम खिलाडी बनाम दौलतराम प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि उपरोक्त विधिक दृष्टांतो में विलम्ब से प्रस्तुत, खातेदारी अधिकार देने के बाद आवंटन निरस्त करने का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत नही किया जा सकता। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र खारिज किया जावे ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.05.27 12:16:27 IST
Reason: SelfAttested

मैनें दोनो पक्षों की रखी गई बहस पर [illegible] किया एवं पत्रावली का भलिभांति अवलोकन किया तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि अप्रार्थी को विवादित भूमि का आवंटन, आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 28.1[illegible]84 को किया जाना पाया जाता है। विवादित भूमि खसरा संख्या 259 रकबा 2 बीघा किस्म भूमि गे.मु.खाल खद्दर है, जिसें अप्रार्थी को आवंटन कमेटी द्वारा 2 बीघा आवंटन की थी। उक्त आवंटन सदभावना पूर्ण

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

आवंटन होना पाया जाता है। आवंटन नियमों की शर्तो की पालना करने पर ही उसे खातेदारी प्रदान की गई है। उक्त आवंटन हुए आज से लगभग 37 वर्ष का समय होने आया है। दस वर्ष पश्चात गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार आवंटन शर्तो की पालना करने पर प्रदत्त कर दिये गये है। किसी के खातेदारी अधिकारों को निरस्त करने के प्रावधान राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 में उपखण्ड़ अधिकारी को प्रदत्त है।

राजस्थान भू–राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाने के बाद आवंटन निरस्त नहीं करने का सिद्धान्त माननीय राजस्व मण्डल, राज. अजमेर द्वारा **आरआरडी 1986** पेज 137 (एकल पीठ) **आरआरडी 1987** पेज 371 (वृहद पीठ) एवं 359(एकल पीठ), **आरआरडी 1999** पेज 128 (माननीय उच्च न्यायालय) द्वारा प्रतिपादित किया गया है अप्रार्थी के लायक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत विधित दृष्टांत आरआरटी 2008(2) पेज 834 **आरबीजे 2001** पेज 125,शंकरलाल बनाम सरकार, 1996 पेज 287 राजकीय प्रवेशिका संस्कृत विधालय बनाम सरदारसिंह, 2001 पेज 593 बदरी बाई बनाम राजाराम, **आरआरडी 1999** पेज 128 दलपतसिंह बनाम राजस्व मण्डल, **आरआरटी 2007(2)** पेज 1240 सूरजमल बनाम सरकार, पेज 1430 राजस्थान सरकार बनाम भंवरलाल, **डीएनजे (राज.) 1997** पेज 632 गोपीराम बनाम सरकार, **एआईआर(एस.सी) 1994** पेज 1128 बृजलाल बनाम राजस्व मण्डल, **आरआरटी** 2004 पेज 352 परसु बनाम राजस्थान सरकार, 2007 पेज 18 मोहम्मद खान बनाम बृजलाल एवं 2006 पेज 424 राम खिलाडी बनाम दौलतराम प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि उपरोक्त विधिक दृष्टांतो में विलम्ब से प्रस्तुत एवं खातेदारी अधिकार प्रदत्त करने के बाद प्रस्तुत आवंटन निरस्त के प्रकरण खारिज किये गये है। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत विधिक दृष्टांत पर मनन किया, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एआईआर 1994 पेज 1128, आरबीजे 1995 पेज 1780 में भी यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि आवंटी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये है एवं आवंटन नियमो के विरूद्ध नही कराया गया है तो खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के बाद नियम 14(4) के तहत आवंटन निरस्त नही किया जा सकता। आरआरडी 2001 पेज 128 एवं आरबीजे 2006 पेज 216 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि आवंटन के 30 साल बाद नियम 14(4) के तहत प्रार्थना–पत्र देरी से प्रस्तुत करने का समुचित कारण नही बताया गया एवं 10 साल की अवधि के बाद खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है तो राजस्थान भू–राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत आवंटन निरस्त नही किया जा सकता। प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र परिपोषणिय नहीं कहा जा सकता। उक्त विचारणीय प्रकरण में आवंटन निरस्त करना ट्रवस्टी आफ जस्टिस होगा। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने का कोई उचित कारण नहीं पाया जाता है । अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 12.04.2021 को सरे आम सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.05.27 12:16:27 IST
Reason: SelfAttested

(भगवती प्रसाद)
जिला कलक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner